

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, औरैया

सत्र परीक्षण संख्या-162/2026

राज्य बनाम शिवा

मुकदमा अपराध संख्या-374/2025

धारा-69,115(2),352,351(2)बी.एन.एस.

थाना-फफूंद जिला-औरैया।

आदेश

दिनांक:-28.04.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त शिवा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिस. बेल एप्लीकेशन नम्बर 7785/2026 शिवा बनाम उ०प्र० राज्य की अधिकृत नकल दाखिल की गयी है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त शिवा की जमानत सत्र परीक्षण संख्या 162/2026 मुकदमा अपराध संख्या 374/2025 अन्तर्गत धारा 69,115(2),352,351(2)बी.एन.एस. थाना फफूंद जिला औरैया में स्वीकृत की गयी है जिसकी सत्यता सिस्टम आफिसर कम्प्यूटर अनुभाग, औरैया द्वारा इन्टरनेट से सत्यापित की जा चुकी है।

2. अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.04.2026 के अनुपालन में अभियुक्त द्वारा 50,000/- रुपये का निजी बंधपत्र व इसी धनराशि के दो-दो प्रतिभू दाखिल करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(पारूल जैन)

अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम,
औरैया।